

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मनोज कुमार

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2015 का दीवानी रिट वाद सं. 12117

25 अगस्त, 2023

[माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह]

विचार के लिए मुद्दा

- क्या अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने में 6 वर्षों से अधिक की देरी, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता अपने पिता की मृत्यु के समय नाबालिग था और मैट्रिक पास नहीं था, ऐसी देरी को स्वीकार्य बनाती है?
- क्या लागू सरकारी परिपत्र के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है?

हेडनोट्स

याचिकाकर्ता न तो पात्र था और न ही उसने सीमा-काल समाप्त होने से पूर्व अनुकंपा नियुक्ति हेतु कोई आवेदन दिया था, अतः वह अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी नहीं है। (कंडिका - 5)
विचारणीय तथ्य यह है कि सहायता उस समय दी जाए जब परिवार संकट में हो, न कि किसी आश्रित के लिए भविष्य हेतु नौकरी सुरक्षित रखने हेतु। (कंडिका - 6)
याचिका में कोई दम नहीं है, अतः खारिज की जाती है। (कंडिका - 8)

न्याय दृष्टान्त

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (1994) 4 एस.सी.सी. 138; गुजरात राज्य बनाम चित्राबेन, (2015) 14 एस.सी.सी. 574

अधिनियमों की सूची

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार का परिपत्र दिनांक 27.04.2005

मुख्य शब्दों की सूची

अनुकंपा नियुक्ति, सीमा अवधि, नाबालिग आश्रित, मैट्रिक योग्यता, आवेदन में देरी, सरकारी सेवा, आर्थिक संकट, विवेकाधीन राहत, परिपत्र की अनुपालना, मृत्यु के समय पात्रता

प्रकरण से उत्पन्न

जिला समाहरणालय, बेगूसराय द्वारा दिनांक 29.05.2013 को पारित आदेश द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन की अस्वीकृति।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अजय नंदन सहाय, अधिवक्ता
उत्तरदाता की ओर से : श्री पी.के. सिंह (स्थायी अधिवक्ता-12)

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:

अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.12117

=====

मनोज कुमार पिता- स्वर्गीय सुरेश महतो निवासी गाँव- बरौनी- 2, पोस्ट- बरौनी देवड़ी,
थाना- बरौनी, जिला- बेगुसराय।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. जिला दंडाधिकारी, बेगुसराय के माध्यम से बिहार राज्य।
2. समाहर्ता-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकंपा समिति, बेगुसराय।
3. उप-मंडल अधिकारी तेघरा, बेगुसराय।
4. पुलिस अधीक्षक, बेगुसराय।
5. प्रभारी अधिकारी, तेघरा, पुलिस थाना, बेगुसराय।

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अजय नंदन सहाय, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री पी.के. सिंह- एससी12

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक : 25-08-2023

1. वर्तमान रिट याचिका उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए दायर की गई है कि वे प्रभारी अधिकारी, जिला समाहरणालय, बेगुसराय द्वारा जारी दिनांक 29.05.2013 के आदेश को अपास्त करते हुए, याचिकाकर्ता के अनुकंपा रोजगार के दावे पर विचार करें, जिसके तहत याचिकाकर्ता का अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के लगभग 07 वर्ष बाद दायर किया गया था, जबकि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी दिनांक 27.04.2005

के परिपत्र के अनुसार, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने की समय सीमा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 05 वर्ष तक है।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, मामले के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि याचिकाकर्ता के पिता, स्वर्गीय सुरेश महतो, की मृत्यु 11.12.2005 को तेघड़ा पुलिस स्टेशन में चौकीदार के रूप में कार्यरत रहते हुए हो गई थी। वे अपने पीछे एक विधवा, एक नाबालिग बेटी और दो नाबालिग बेटों को छोड़ गए थे, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि चूँकि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता की आयु केवल 12 वर्ष 11 माह और 08 दिन थी और वह मैट्रिक पास भी नहीं था, इसलिए वह समय पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सका। हालाँकि, 27.08.2011 को मैट्रिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद, उसने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया था। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता अपने पिता की मृत्यु के 05 वर्ष की अवधि के भीतर अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन दायर नहीं कर सका, क्योंकि वह उस समय इसके लिए पात्र नहीं था।

4. इसके विपरीत, उत्तरदाता- राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 11.12.2005 पर हुई थी, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन केवल 02.01.2012 पर दायर किया गया था, 06 साल से अधिक की देरी के बाद, इस प्रकार अनुकंपा रोजगार देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए दिनांकित 29.05.2013 आदेश में कोई त्रुटि या कानूनी दुर्बलता नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के लिए आवेदन दायर करने की समय अवधि पदधारी की मृत्यु की तारीख से 05 वर्ष है, जबकि याचिकाकर्ता ने लगभग 06 वर्ष बीतने के

बाद अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए आवेदन दायर किया था, इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान वकिलों को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। इस न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता न तो पात्र था और न ही उसने ऐसा आवेदन दाखिल करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन दाखिल किया था, जबकि याचिकाकर्ता ने मैट्रिक परीक्षा 27.08.2011 को ही उत्तीर्ण की थी, अर्थात् अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा समाप्त होने के बाद, क्योंकि उसके पिता का देहांत 11.12.2005 को ही हो गया था। इस न्यायालय का यह भी मानना है कि निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता ने समय-सीमा समाप्त होने से पहले अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया था, इसलिए याचिकाकर्ता निश्चित रूप से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार नहीं है, इसलिए उसका मामला उचित रूप से खारिज कर दिया गया है।

6. यह एक सुस्थापित कानून है कि यदि किसी आवेदन पर लंबे विलंब के बाद विचार किया जाता है, तो न केवल मौजूदा रिक्तियों को नियमित नियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है, बल्कि इसी प्रकार के अन्य मामले भी उत्पन्न हो सकते हैं, जहाँ मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करके तत्काल राहत प्रदान की जा सकती है। इसलिए विचारणीय बात यह है कि कब संकटग्रस्त परिवार को राहत प्रदान की जानी है, न कि किसी आश्रित के लिए नौकरी आरक्षित करने की। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देना समीचीन होगा, जिसकी रिपोर्ट **(1994) 4 एससीसी 138** में दी गई है, जिसकी कंडिका सं. 6 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है :-

“6. इन्हीं कारणों से, नियमों में निर्दिष्ट एक उचित अवधि के अंत के बाद अनुकंपा रोजगार नहीं दिया जा सकता है। इस तरह के रोजगार के लिए विचार एक निहित अधिकार नहीं है जो भविष्य में किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य परिवार को उस वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है जिसका सामना वह एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय करता है, अनुकंपा वाले रोजगार का दावा समय बीतने के बाद और संकट समाप्त होने के बाद नहीं किया जा सकता है।”

7. यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक और निर्णय **गुजरात राज्य बनाम चित्राबेन** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देना समीचीन होगा, जिसकी रिपोर्ट (2015) 14 एस. सी. सी. 574, में दी गई है, जिसकी कंडिका सं. 9 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है -

“9. यह विवाद का विषय नहीं है कि उत्तरदाता के पास केवल चौथी कक्षा की योग्यता है, और उसके पास "माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र" परीक्षा की योग्यता नहीं है, जैसा कि अधिसूचना दिनांकित 16-3-2005 के नियम 3 (ii) में अभिनिर्धारित किया गया है। इसलिए हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना अनिवार्य है कि जब उसके पति की मृत्यु सेवा करते हुए 13-6-2006 को हो गई थी, उत्तरदाता चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं था। जब उत्तरदाता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 17-7-2006 पर आवेदन किया, तो उसके लिए अधिसूचना दिनांक 16-3-2005 में निर्धारित योग्यता को पूरा करना आवश्यक था। चूंकि, यह माना जाता है कि उत्तरदाता ने उपरोक्त योग्यता को पूरा नहीं किया था, इसलिए वह प्रस्ताव दिनांक 10-3-

2000 के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा करने की पात्र नहीं थी।”

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में और यहां उल्लिखित कारणों के लिए, वर्तमान रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित है, इसलिए, खारिज की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

रिंकी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।